

प्रेषक

तहसीलदार, जीन्द।

प्रेषित

हल्का कानूनगों/पटवारी /जमादार
तहसील जीन्द।

यादी क्रमांक ~~1386~~ /टी0आर0ए0 दिनांक

विषय:-

राजबीर उर्फ भूषण उर्फ विशाल पुत्र श्री सन्तलाल निवासी 496/29 गुरुद्वारा कालोनी
नजदीक सिनियर सैकन्डरी स्कूल रोहतक रोड जीन्द की कुर्क शुद्धा वसीका न0 5465
दिनांक 20.02.2014 वर्णित भूमि 5 मरले को बबात गुजारा भत्ता मु0 222050/-रु0 निलाम
करने बारे।

उपरोक्त विषय बारे राजबीर उर्फ भूषण उर्फ विशाल पुत्र श्री सन्तलाल निवासी
496/29 गुरुद्वारा कालोनी नजदीक सिनियर सैकन्डरी स्कूल रोहतक रोड जीन्द के बाबत गुजारा भत्ता
मु0 222050/-रु0 बकाया है। कलेक्टर महोदय उप-मण्डल जीन्द के आदेश दिनांक 07.09.2017
अनुसार इश्तहार निलामी पर इस्ताक्षर करवाकर आपको मुश्तहरी मुनादी करवाकर सभी सार्वजनिक
स्थान चौपाल आदि में चस्पा करवाकर व रपट रोजनामचा नाम पत्ती दर्ज करके नकल की प्रति सहित
विस्तापरपूर्वक रिपोर्ट निश्चित तिथि से पूर्व भेजी जावे।

संलग्न:- इश्तहार निलामी

इत्त

तहसीलदार, जीन्द।

पू0 क्रमांक 597 /टी0आर0ए0 दिनांक 7/9/2017

इसकी एक प्रति जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जीन्द को वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित है।

तहसीलदार, जीन्द।

Received
605 / 7/9/17

इश्तहार निलामी जेर दफा 79 एक्ट मामला जमीन पंजाब 1887

पैरा न0 33 स्टेन्डिंग आर्डर न0 29

Proclamation of Sale under Section 79 of the Punjab Land Revenue Act, 1887

चूंकि मुबलिया 222050 /—रू0 की बकाया मामला राजबीर उर्फ भूषण उर्फ विशाल पुत्र श्री सन्तलाल निवासी 496/29 गुरुद्वारा कालोनी नजदीक सिनियर सैकेंडरी स्कूल रोहतक रोड जीन्द की जमीन वसीका न0 5465 दिनांक 20.02.2014 भूमि लगभग 151 वर्ग गज महाल मुसिमा। खाता न0 का क्या महाल 151 वर्ग गज गुरुद्वारा कालोनी जीन्द थी निस्वत वाजिव-अलदा है और एक्ट मामला पंजाब (75) के नामु जुव बकाया मजकूर के वसूल करने की गर्ज से जायदाद मनकूला मुतरजा जीमा मन के फिरोख्त करने के लिए आयुक्त महोदय की मन्जूरी एन की चिट्ठी नम्बरी आदेश जे0एम0आई0सी0 दिनांक 25.10.16 द्वारा रपट रोजनामचा 121 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा कुर्क की जा चुकी है। इसलिए यह इतलादी जाती है कि जायदाद वगैरा गैर मनकूला मजकूर बामकाम रिकार्ड सहित तिथि 12.10.2017 बावक्त 10-00 बजे सुबह वजरिया नीलाम फिरोख्त की जायेगी। खाता मजकूर पर मामला जमीन वकदर मुबलिया 222050 /— रूपया सालाना तकसीस किया गया है।

वाजुवउलअदा है।

जो व्यक्ति हकशुफा का दावेदार हो तो उसको लाजिम है कि अपने इरादा की हम को दफतर वाले दिन और उस रोज से पहले जा उपर फिरोख्त के लिए मुकरर हुआ है इतला देव वरना उसका हक जायल हो जावेगा वसूली होने तक यह फिरोख्त वापाबन्दी हाकाम धारा 79 एक्ट मामला जमीन पंजाब, 1887 अमल में आएगी और मुन्दरजा दफा 79(1) जायल वारमुफनदा व अलामियात व मुहाइदा या हक दलील कारी वासलूस

साहब फाइनांशल कमिश्नर के हुकुम से _____ मकफूस किए गए हैं।

जायदाद मजकूर की निस्वत मौबद पाए गए हैं।

यानि हकूक मुजायरान माफूज रहेंगे।
तिथि

Ashwani
कलेक्टर एवं मजदब,
जीन्द
हस्ताक्षर कलेक्टर बहादुर,

तफसील अराजी जो निलाम होगी।

वसीका न0 5465 दिनांक 20.02.2014
भूमि लगभग 151 वर्ग गज गुरुद्वारा कालोनी जीन्द
स्थान जहां अराजी नीलामी होगी।
गुरुद्वारा कालोनी नजदीक जाट
सीनीयर सैकेंडरी स्कूल रोहतक रोड जीन्द।